



भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में स्पेन को हराकर भारत के लिए चौथा ब्रॉन्ज मैडल जीत लिया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में टोक्यो ओलंपिक 2020 के प्रदर्शन को दोहराया है। भारतीय टीम ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए स्पेन को 2-1 से हराकर इतिहास रचा है। पहले क्वार्टर के दौरान भारत ने नौ बार आक्रामक तरीके से स्पेन के सर्कल में प्रवेश किया लेकिन गोल करने में सफल नहीं हुये। इसके बाद स्पेन ने दूसरे क्वार्टर में फिर से आक्रामक शुरुआत करते हुए केवल तीन मिनट बाद मिले पैन्ल्टी स्ट्रोक का फायदा उठाते हुए 18वें मिनट में गोल दागकर अपनी टीम को बढ़त दिला दी। दूसरे क्वार्टर में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने पैन्ल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर मुक़ाबले में 1-1 से बराबरी कर ली। तीसरे क्वार्टर में हरमनप्रीत ने 33वें मिनट में गोल दाग कर भारतीय टीम को 2-1 से बढ़त दिला दी और भारत ने अंत तक इस बढ़त को कायम रखकर यह मुक़ाबला जीत लिया। पेरिस 2024 ग्रीष्मकालीन खेलों में यह भारत का चौथा कांस्य पदक है और पुरुष हॉकी में यह 13वां ओलंपिक पदक है। म्यूनिख ओलंपिक 1972 के बाद यह पहली बार है जब भारत ने लगातार दो ओलंपिक पदक जीते हैं। ओलंपिक में मिला इस जीत के साथ ही भारतीय गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश ने संचालन ले लिया। भारतीय हॉकी टीम ने एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में स्वर्ण, लॉस एंजलिस 1932 में स्वर्ण, बर्लिन 1936 में स्वर्ण, लंदन 1948 में स्वर्ण, हैलसिंकी 1952 में स्वर्ण, मैलबर्न 1956 में स्वर्ण, रोम 1960 में रजत, टोक्यो 1964 में स्वर्ण, मेक्सिको सिटी 1968 में कांस्य, म्यूनिख 1972 में कांस्य, मॉस्को 1980 में स्वर्ण, टोक्यो 2020 में कांस्य और पेरिस 2024 में कांस्य जीता है।

## चंद्रबाबू नायडू के अमित शाह को किये गये फोन के बाद, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक संसद में पेश होने से रूका

शायद पहली बार भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार किसी विधेयक को पेश करने का मन बना लेने के बाद पीछे हटी है

**-श्रीनन्द झा-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 8 अगस्त। घटनाक्रम में आये एक अप्रत्याशित मोड़ के अन्तर्गत, केन्द्र सरकार ने 'वक्फ अमेंडमेंट बिल' एक संयुक्त संसदीय कमेटी को सौंप दिया। ज्ञातव्य है कि विपक्ष ने प्रस्तावित संशोधनों का कड़ा विरोध किया था तथा एन.डी.ए गठबन्धन के घटक दल तेलुगुदेशम पार्टी (टी.डी.पी.) ने इन पर आपत्ति जताई थी।

तेलुगुदेशम पार्टी सांसद बालयोगी ने कहा कि उनकी पार्टी सदन के पटल पर इस विधेयक को अपना "सशर्त समर्थन" दे रही है। समझा जाता है कि इस मुद्दे पर टी.डी.पी. प्रमुख एन.चंद्रबाबू नायडू के एतराज के बाद सरकार ने इसे 'होल्ड' पर रखने का निर्णय ले लिया। इस मुद्दे पर चन्द्रबाबू नायडू एवं गृह मंत्री अमित शाह के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। इसे एक दुर्लभ अवसर ही कहा जायेगा, जब भाजपा के नेतृत्व वाली एन.डी.ए.

- प्रस्तावित विधेयक में एक प्रमुख बात यह है कि वक्फ बोर्ड के अधिकारी पर कुछ अंकुश लगाते हुए, जिलाधीश को अधिकार दिये हैं, नियम कायदे बनाने के।
- साथ ही कुछ गैर मुस्लिम व्यक्तियों को और महिलाओं को वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाने का भी प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। कांग्रेस के सांसद वेणुगोपाल ने गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड की गवर्निंग समिति का सदस्य बनाने का विरोध किया और कहा, "जब राम मंदिर के निर्माण के लिये समिति का गठन किया गया था, तो क्या गैर हिन्दुओं को उस समिति का सदस्य बनाया गया था।"
- अखिलेश यादव ने इस संदर्भ में कहा, भाजपा को लोकसभा चुनाव में भारी झटका लगा था, अतः अब वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लाकर भाजपा, अपने कठुरपंथी (हार्ड लाइनर) खेमे को खुश करना चाहती है।
- विपक्ष के नेताओं ने यह भी कहा कि सरकार को कोई अधिकार नहीं है, वक्फ बोर्ड के काम में हस्तक्षेप करने का और वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करने का।

सरकार ने अपने किसी विधेयक पर अपने कदम पीछे हटा लिये हों। वक्फ अधिनियम, 1995 में 44 संशोधन प्रस्तावित करने के बाद यह विधेयक तैयार किया गया था। अन्य चीजों के अलावा, इन संशोधनों का उद्देश्य राज्य वक्फ बोर्डों के अधिकारों में कटौती करना तथा जिला मजिस्ट्रेटों को नियम तैयार करने के अधिकार देना था। इसके अलावा, वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों तथा महिलाओं को शामिल किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है।

विपक्षी सदस्यों ने इस विधेयक पर संगठित प्रहार करते हुये, इसे "असंवैधानिक एवं मुस्लिम-विरोधी" बताया है। विपक्ष ने कहा है कि केन्द्र के पास वक्फ बोर्डों के संचालन से विपक्षी सदस्यों ने इस विधेयक पर संगठित प्रहार करते हुये, इसे "असंवैधानिक एवं मुस्लिम-विरोधी" बताया है। विपक्ष ने कहा है कि केन्द्र के पास वक्फ बोर्डों के संचालन से

विपक्षी सदस्यों ने इस विधेयक पर संगठित प्रहार करते हुये, इसे "असंवैधानिक एवं मुस्लिम-विरोधी" बताया है। विपक्ष ने कहा है कि केन्द्र के पास वक्फ बोर्डों के संचालन से विपक्षी सदस्यों ने इस विधेयक पर संगठित प्रहार करते हुये, इसे "असंवैधानिक एवं मुस्लिम-विरोधी" बताया है। विपक्ष ने कहा है कि केन्द्र के पास वक्फ बोर्डों के संचालन से

राहुल गांधी ने पार्टी सांसदों की मीटिंग ली

**-डॉ. सतीश मिश्रा-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 8 अगस्त। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज संसद में पार्टी के लोकसभा सदस्यों की बैठक ली और बांग्लादेश व चीन सहित कई मसलों पर चर्चा की। लोकसभा में पार्टी के उपनेता गौरव

■ संसद परिसर में हुई इस बैठक में राहुल ने बांग्लादेश और चीन के मसले पर चर्चा की तथा पार्टी सांसदों से जनता के मुद्दे उठाने की अपील की।

गोमोई, पार्टी महासचिव (संगठन प्रभारी) के.सी. वेणुगोपाल के साथ मिलकर बैठक की अध्यक्षता करने वाले राहुल ने पार्टी सांसदों से अपील की कि वे जनता से जुड़े मुद्दे संसद में उठाए। राहुल गांधी ने बाद में एक्स पर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## 'विपक्ष के कई नेता, जो अब बिल का विरोध कर रहे हैं, प्राइवेटली हमारे पास आकर विधेयक के पक्ष में बोलते थे'

केन्द्रीय मंत्री रिजीजू ने यह भी दावा किया कि इन नेताओं का कहना था कि वक्फ जमीनों पर माफिया का कब्जा है और बिल लाकर आप इन जमीनों को माफिया के कब्जे से मुक्त कर रहे हैं

**-डॉ. सतीश मिश्रा-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 8 अगस्त। लोकसभा में आज पेश हुए वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को व्यापक जांच के लिए जॉइन्ट पार्लियामेन्टरी कमेटी (जे.पी.सी.) के पास भेजने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ विपक्ष ने मोदी सरकार को बाध्य कर दिया। विधेयक को संसद में पेश करने वाले केन्द्रीय मंत्री किरण रिजीजू ने विपक्ष द्वारा इस विधेयक को असंवैधानिक बताकर विरोध प्रदर्शन किए जाने के बाद इसे व्यापक जांच के लिए जे.पी.सी. के पास भेजने का प्रस्ताव रखा।

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को लोकसभा में पेश किए जाने के बाद विपक्ष ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने इसे "कठोर" एवं संविधान पर हमला बताया। रिजीजू के विधेयक पेश करने की मांग के तुरन्त बाद वेणुगोपाल ने इसे पेश किए जाने के विरोध में नोटिस देते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि वह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रही है और इसके जरिए देश के संघीय सिस्टम पर हमला बोल रही है। उन्होंने कहा कि जनता ने भाजपा को उसकी विभाजनकारी राजनीति को लेकर एक सबक सिखाया था, लेकिन

किरण रिजीजू ने कहा कि विपक्षी दल मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि, वक्फ बिल में किसी भी धार्मिक संस्था में हस्तक्षेप का कोई उल्लेख नहीं है। संशोधित विधेयक में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि वक्फ बोर्डों में महिलाओं व गैर मुस्लिमों को भी प्रतिनिधित्व मिले। वक्फ बोर्डों में महिलाओं व गैर मुस्लिमों को भी प्रतिनिधित्व मिले।

वह हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर अपनी राजनीति जारी रखे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि यह विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सैन्य वक्फ बोर्ड कार्रवाई तथा ऐसे ही अन्य निकायों में गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति मुस्लिमों के अधिकारों का उल्लंघन है।

तृणमूल कांग्रेस (टी.एम.सी.) सांसद सुदीप बंधोपाध्याय ने कहा कि विधेयक विभाजनकारी, असंवैधानिक एवं गैर संघीय है। द्रमुक सांसद कनिमोई ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि "यह संविधान, एक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय तथा देश की संघीय व्यवस्था के खिलाफ है। यह किसी भी तरीके से न्याय नहीं दे रहा है। मंत्री रिजीजू ने विपक्ष के भारी शोरशराबा करने के बाद संसद को बताया कि "सरकार एक संयुक्त संसदीय कमेटी का गठन करेगी और विधेयक को व्यापक जांच के लिए उसके पास भेजेगी। विधेयक पर वृहद

चर्चा करें, और हितधारकों को बूलाए, उनकी राय सुने, विधेयक को कमेटी के पास भेजें तथा भविष्य में हम उनके सुझावों को खुले दिल से सुनेंगे। वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 के उद्देश्य एवं कारणों के अनुसार यह विधेयक वक्फ की जायदाद के बारे में निर्णय लेने की वक्फ बोर्ड की शक्तियों से संबंधित वर्तमान कानून की धारा 40 को समाप्त करना चाहता है। रिजीजू ने विधेयक के पक्ष में दावा किया कि विपक्ष के कई सीनियर नेताओं ने विधेयक को निजी तौर पर मंजूर किया है। उन्होंने कहा कि "विपक्ष मुस्लिमों को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ कस्टमर्स का कहना है कि स्विगी व अन्य ऐप्स के डिलिवरी एगिजक्यूटिव पुछते हैं, पैकेट में क्या है, अगर नॉन वैज होता है तो ऑर्डर नहीं लेते हैं। सामना करना पड़ रहा है जो कि भोजन से सम्बंधित है और शहर के नॉन वैज खाने वाले लोगों को परेशान कर रहा है। नॉन वैज (मांसाहारी) भोजन खाना अवैध करार नहीं दिया गया है और ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि इस राज्य (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## सरकार अचानक वक्फ बोर्ड विधेयक को जे.पी.सी. को भेजने को तैयार क्यों हो गई?

कांग्रेस का कहना है, सरकार को मालूम था कि जे.पी.सी. का अध्यक्ष तो उसका सांसद ही बनेगा, जबकि सलैक्ट कमेटी का अध्यक्ष एन.डी.ए. का ही सांसद हो ऐसा जरूरी नहीं है

**-रेणु मित्तल-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 8 अगस्त। 'वक्फ अमेंडमेंट बिल', लोकसभा में पेश होने के बाद, विपक्षी दलों के भारी विरोध के कारण, एक संयुक्त संसदीय समिति (जॉइन्ट पार्लियामेन्टरी कमेटी-जे.पी.सी.) को सौंप दिया गया है। ज्ञातव्य है कि तेलुगुदेशम पार्टी (टी.डी.पी.) सांसद हरीश बालयोगी ने कहा था कि उनकी पार्टी वक्फ बोर्ड का समर्थन तो करती है लेकिन बेहतर यह होगा कि इस मुद्दे पर व्यापक विचार-विमर्श हो तथा इसलिये इसे किसी प्रवर समिति को सौंप दिया जाये। इस पर, अल्पसंख्यक मामलात के केन्द्रीय मन्त्री किरन रिजीजू ने प्रस्तावित किया कि सरकार इसे जे.पी.सी. को सौंपने के लिये तैयार है। लोकसभा अध्यक्ष ने सरकार से पुनः पूछा कि क्या सरकार इसे

■ कांग्रेस के अनुसार, कल बुधवार को बिजनस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में कांग्रेस ने मांग की थी कि वक्फ बोर्ड में संशोधन करने वाला विधेयक सदन में पेश करने से पहले सलैक्ट कमेटी में प्रस्तुत करना चाहिये। पर, अचानक बिना कुछ बातचीत हुए, सरकार जे.पी.सी. के गठन का प्रस्ताव लायी। कांग्रेस के अनुसार, अब आम चर्चा में यह सवाल है कि सरकार वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन का प्रस्ताव क्यों लायी है, क्या सरकार की निगाह वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति पर है या सरकार कुछ चहते व्यक्तियों की अनुगृहित करना चाहती है। उदाहरण के लिये मुकेश अंबानी का बहुचर्चित मकान, वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है।

कि यह विधेयक स्थायी समिति (स्टैंडिंग कमेटी) के पास भेज दिया जाये। एक कांग्रेस नेता ने कहा कि जे.पी.सी. के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि सरकार ने इस विषय में विपक्ष से विचार-विमर्श नहीं किया। उल्लेखनीय है कि जे.पी.सी. सरकार के अनुकूल होती है क्योंकि इसके चेयरमैन उसके ही होते हैं तथा कमेटी में बहुमत भी सत्तापक्ष का होता है। इस बात की कोई गारन्टी नहीं होती कि किसी स्थायी समिति या प्रवर समिति के अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल के ही हों। सुत्रों का कहना है कि इस विधेयक को लाने के पीछे सरकार का लक्ष्य महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है तथा ये चुनाव भाजपा के मुख्य निशाने पर हैं। विपक्ष ने इस संशोधन विधेयक के कई प्रावधानों का विरोध किया है, जैसे-कलैक्टर को मध्यस्थता का अधिकार (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## कालाडेरा में लोहा ढलाई फैक्टरी में बाँयलर फटा, एक की मौत 18 घायल

ओम कास्टिंग फैक्टरी में गुरुवार सुबह लोहा ढलाई के दौरान अचानक तेज धमाके से बाँयलर फट गया

चौमू/कालाडेरा, 8 अगस्त (निर्स.)। कालाडेरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित लोहा ढलाई फैक्टरी के बाँयलर (भट्टी) में विस्फोट होने से एक मजदूर की मौत हो गई और 18 मजदूर घायल हो गये। घायलों को एम्बुलेंस से कालाडेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद, सात घायलों को गम्भीर हालत होने पर जयपुर सवाईमानसिंह अस्पताल रैफर कर दिया। घायलों में से दो मजदूरों की हालत गम्भीर बनी हुई है। हादसे में घायल मजदूर सुरेश कुमार जाट (40) पुत्र नारायण लाल हाथनोदा थाना सामोद की उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, ओम कास्टिंग फैक्टरी में लोहा ढलाई का कार्य किया जाता है। गुरुवार सुबह लोहा ढलाई के कार्य के दौरान फैक्टरी में लगे बाँयलर (भट्टी) में तेज धमाके की आवाज के साथ ही विस्फोट हो गया, जिससे फैक्टरी में हड़कंप मच गया।

■ बाँयलर के पास काम कर रहे मजदूर झुलस गए, उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, अस्पताल में एक मजदूर सुरेश कुमार जाट की मौत हो गई। घायलों में से गंभीर रूप से घायल लोगों को जयपुर के एस.एम.एस. अस्पताल भेजा गया है तथा बाकी का चौमू के निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और तहसीलदार डॉ. विजयपाल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। सुत्रों ने बताया कि सुरक्षा इंतजामात में भारी लापरवाही सामने आई है। विधायक डॉ. शिखा मील बराला पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने चौमू में भर्ती घायलों से मुलाकात की।

अस्पताल पहुंचाया। तहसीलदार डॉ. विजयपाल ने फैक्टरी का अवलोकन किया। कहा जा रहा है कि फैक्टरी में सुरक्षा उपकरणों को लेकर भारी लापरवाही सामने आई है। तहसीलदार (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हैदराबाद में नॉन वैज की डिलिवरी से इनकार है स्विगी को

**-लक्ष्मण वेंकट कुची-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 8 अगस्त। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, यहां बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के कई ग्लोबल कैम्पिलिटी सेंटर हैं और आधुनिक तकनीक के साथ काम कर रहे हैं, जो एक सदियों पुरानी धार्मिक सांस्कृतिक समस्या का

■ कस्टमर्स का कहना है कि स्विगी व अन्य ऐप्स के डिलिवरी एगिजक्यूटिव पुछते हैं, पैकेट में क्या है, अगर नॉन वैज होता है तो ऑर्डर नहीं लेते हैं। सामना करना पड़ रहा है जो कि भोजन से सम्बंधित है और शहर के नॉन वैज खाने वाले लोगों को परेशान कर रहा है। नॉन वैज (मांसाहारी) भोजन खाना अवैध करार नहीं दिया गया है और ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि इस राज्य (शेष अंतिम पृष्ठ पर)